

मुकदमों का विवरण

पंकाज बंसल बनाम.

भारत संघ व अन्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 3051-3052) अक्टूबर 03,2023

[ए. एस. बोपन्ना और संजय कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:चाहे अपीलार्थियों की गिरफ्तारी यू/एस।19 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 वैध था; क्या धाराओं का उचित अनुपालन किया गया था।19(1) 2002 के अधिनियम और क्या अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रिमांड आदेश पारित करते समय उस मुद्दे पर सही ढंग से विचार किया; गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का क्या महत्व है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-धाराओं का अनुपालन।19 अधिनियम का-उचित या अनुचित:

आयोजित किया गया:अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड आदेश अपेक्षित मानक के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में उनकी ओर से पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है-न्यायाधीश ने यह भी दर्ज नहीं किया कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों का अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ईडी ने यह मानने के लिए कारण दर्ज किए थे कि अपीलार्थी 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के दोषी थे और एस के जनादेश का उचित अनुपालन किया गया था।19 2002 के अधिनियम की गंभीरता और जांच के चरण को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने केवल यह कहा कि वे आश्चर्य थे कि वर्तमान मामले में अभियुक्त व्यक्तियों की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया-अपीलार्थियों की गिरफ्तारी का विश्लेषण करते हुए, दोनों अपीलार्थियों को ईडी द्वारा पंजीकृत पहले इसीआईआर में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया था-दोनों अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत के माध्यम से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त की थी-हालांकि, दोनों अपीलार्थियों को पहले इसीआईआर के संबंध में पूछताछ के लिए 14.06.2023 पर बुलाया गया था और समन 13.06.2023 पर जारी किए गए थे-विशेष रूप से, दूसरा इसीआईआर दर्ज किया गया था।

714

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

एफ. आई. आर. No.0006 जो 17.04.2023 पर दर्ज की गई थी-उसमें भी किसी भी अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था और केवल एक 'आर. बी.' को अभियुक्त के रूप में दिखाया गया था-दोनों अपीलार्थी ईडी के कार्यालय में पेश हुए थे-इसके बाद, दोनों अपीलार्थी को दूसरे ई. सी. आई. आर. के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, वे यू/एस. शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे।19(1) 2002 के अधिनियम के अनुसार-यह आरोप लगाया गया था कि दोनों अपीलार्थी ईडी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे-केवल यू/एस द्वारा जारी समन के जवाब में एक गवाह का असहयोग।50 2002 के अधिनियम की धारा उसे यू/एस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।19 - किसी भी स्थिति में, ई. डी. के लिए पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की अपेक्षा करना खुला नहीं है और यह दावा करना कि इस तरह के प्रवेश से कम कुछ भी एक 'टालमटोल जवाब' होगा-इसके अलावा, यह स्वीकृत स्थिति है कि ई. डी. के जांच अधिकारी ने अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के आधारों को केवल पढ़ा या पढ़ने की अनुमति दी और इसे उस पर छोड़ दिया, जो अपीलार्थियों द्वारा भी विवादित है-क्योंकि संचार का यह रूप संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के जनादेश के अनुपालन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है।19(1) 2002 के अधिनियम-इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी धाराओं के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।19(1) 2002 के अधिनियम से।[पारस 18,19,25,35]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 22-धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना-इसका महत्व:

आयोजित किया गया:संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा-यह

ध्यान दिया जा सकता है कि एस।45 2002 के अधिनियम का प्रावधान यू/एस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सक्षम बनाता है।19 जमानत पर रिहाई की मांग करने के लिए, लेकिन यह अभिनिर्धारित करता है कि जब तक इसके तहत निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा व्यक्ति जमानत देने का हकदार नहीं होगा-प्रावधान में निर्धारित दोहरी शर्तें यह हैं कि, सबसे पहले, लोक अभियोजक को रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर देने के बाद, अदालत को संतुष्ट किया जाना चाहिए, कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और दूसरा, कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है-इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उन आधारों के बारे में जागरूक होना आवश्यक होगा जिनके आधार पर अधिकृत अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया था।19 और अधिकारी के 'विश्वास करने के कारण' का आधार कि वह दंडनीय अपराध का दोषी है

716

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

2002 के अधिनियम के तहत-यह केवल तभी है जब गिरफ्तार व्यक्ति को इन तथ्यों की जानकारी हो कि वह विशेष न्यायालय के समक्ष अभिवचन करने और साबित करने की स्थिति में होगा कि यह विश्वास करने के लिए आधार हैं कि वह ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं है, ताकि जमानत की राहत का लाभ उठाया जा सके-इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और धाराओं द्वारा अनिवार्य गिरफ्तारी के आधारों का संचार।19 2002 के अधिनियम का उद्देश्य इस उच्च उद्देश्य को पूरा करना है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।[पैरा 29]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रस्तुत करना:

आयोजित किया गया: इस बात का कोई वैध कारण नहीं है कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति निश्चित रूप से और बिना किसी अपवाद के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्यों नहीं दी जानी चाहिए-इसके दो प्राथमिक कारण हैं कि क्यों यह सैद्धांतिक रूप से पालन की जाने वाली कार्रवाई का उचित तरीका होगा-पहला, यदि गिरफ्तारी के ऐसे आधारों को मौखिक रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पढ़ा जाता है या ऐसे व्यक्ति द्वारा आगे कुछ नहीं पढ़ा जाता है और यह तथ्य किसी दिए गए मामले में विवादित है, तो यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शब्द पर निर्भर हो सकता है कि अधिकृत अधिकारी के शब्द के खिलाफ है कि क्या इस संबंध में उचित और उचित अनुपालन है या नहीं-ऐसी अनिश्चित स्थिति से आसानी से बचा जा सकता है और इसके परिणाम को लिखित रूप में प्रस्तुत करके बहुत सरलता से रोका जा सकता है।19(1) 2002 के अधिनियम के तहत, गिरफ्तार व्यक्ति को उचित स्वीकृति के तहत, इसे अधिकृत अधिकारी के विवादास्पद बयान पर छोड़ने के बजाय-दूसरा, इस जानकारी का संप्रेषण न केवल गिरफ्तार व्यक्ति को इस बात से अवगत कराने के लिए है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाने के लिए भी है और उसके बाद, न्यायालय के समक्ष एक मामला प्रस्तुत करने के लिए भी है।45 यदि वह चाहे तो जमानत पर रिहाई की मांग करना।[पैरा 32,33]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-संविधान और धाराओं के **Art.22** के तहत जनादेश का गैर-अनुपालन।19 **2002** के अधिनियम-ईडी द्वारा शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग:

आयोजित किया गया: हाथ में मामले में, स्वीकार की गई स्थिति यह है कि ईडी के जांच अधिकारी ने केवल अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के आधारों को पढ़ा या पढ़ने की अनुमति दी और इसे उस पर छोड़ दिया, जो अपीलार्थियों द्वारा भी विवादित है-क्योंकि संचार का यह रूप संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और धाराओं के जनादेश के अनुपालन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है।19(1) 2002 के अधिनियम के अनुसार, यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी 717 है।

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

एस के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।19(1) 2002 के अधिनियम के अनुसार-इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही में ईडी का गुप्त आचरण, प्रथम ईसीआईआर के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरे ईसीआईआर को दर्ज करके, स्वीकृति की सराहना नहीं करता है क्योंकि यह शक्ति के मनमाने प्रयोग का संकेत देता है-प्रभावी रूप से, अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी और परिणामस्वरूप, ईडी की हिरासत में उनकी रिमांड और उसके बाद, न्यायिक हिरासत में बनाए नहीं रखा जा सकता है।[पैरा 35]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह (1980) 2 एस. सी. सी. 471:[1980] 1 एससीआर

1071; कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट), इलाहाबाद और एक अन्य बनाम राजा

राम जैसवाल (1985) 3 एस. सी. सी. 1:[1985] 3 एससीआर 995; रवि यशवंत भोइर बनाम कलेक्टर (2012) 4 एससीसी 407:[2012] 3 एस. सी. आर. 775-निर्भर।

मोइन अख्तर कुरैशी बनाम भारत संघ और अन्य 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12108; गगन चंद्रकांत भुजबल बनाम भारत संघ और अन्य

02017 क्राई एलजे (एनओसी 301) 89:2017 (1) ए. आई. आर. बम आर. (सी. आर. आई.) 929-सही नहीं माना गया।

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2022 (10) स्केल 577; वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य

2023 की निदेशक और अन्य आपराधिक अपील संख्या 2284-2285, 07.08.2023 पर निर्णय लिया गया; मधु लिमये और अन्य (1969) 1 एस. सी. सी. 292:[1969] 3 एस. सी. आर. 154; देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2008) 1 एस. सी. सी. 728:[2007] 11 एससीआर

475; संतोष पुत्र द्वारकादास फाफत बनाम महाराष्ट्र राज्य (2017) 9 एस. सी. सी.

714 :[2017] 10 एस. सी. आर. 129-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 3051-3052।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2023 के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 2 में दिनांकित 20.07.2023 और 26.07.2023 के निर्णय और आदेश से।

सह

2023 की आपराधिक अपील संख्या 3053-3054।

718

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

रूप:

डॉ. ए. एम. सिंघवी, रणदीप राय, विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, विजय अग्रवाल, मलक मनीष भट्ट, सुश्री नीहा नागपाल, विजय नायर, रजत जोनेजा, सुश्री रुबीना विरमानी, कुणाल डावर, विश्वेंद्र तोमर, मंदीप सिंह, आविष्कार सिंघवी, यश वर्मा, अनमोल कुमार, निखिल रोहतगी, सिद्धार्थ सीम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, सुश्री साइरिका राजू, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

निर्णय

संजय कुमार, जे।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. इन अपीलों में चुनौती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 और 2 के आदेशों को दी गई है, जिसमें पंकज बंसल के नेतृत्व में 2023 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14536 और उनके पिता बसंत बंसल के नेतृत्व में 2023 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14539 को खारिज कर दिया गया है। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, खंड पीठ ने राय दी कि चूंकि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षिप्तता के लिए, '2002 का अधिनियम') की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे चुनौती देने पर केवल इस तथ्य के कारण विचार नहीं किया जा सकता था कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका लंबित थी। उस प्रभावी अधिनियम के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को तदनुसार खारिज कर दिया गया था। आई. डी. 1 के बाद के आदेश द्वारा, खंड पीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं की उनके गिरफ्तारी आदेशों के साथ-साथ उनके गिरफ्तारी ज्ञापनों और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही को रद्द करने/रद्द करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया, जिसमें विद्वत अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित आई. डी. 2, आई. डी. 4 और आई. डी. 3 के आदेश शामिल हैं, जिसके तहत उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (संक्षिप्तता के लिए, 'ई. डी.') की हिरासत में भेज दिया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हिरासत से रिहा होने की उनकी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं थी और 719 को खारिज कर दिया।

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 720

एक ही। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसलिए, पंकज बंसल और बसंत बंसल की ये अपीलें हैं। 3. इन अपीलों की उत्पत्ति का पता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला, हरियाणा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 8, 11 और 13 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 0006 से लगाया जा सकता है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पढ़ा जाता है। इस एफ. आई. आर. में अभियुक्तों के नाम हैं: '(i) श्री सुधीर परमार (तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, सीबीआई और ईडी, पंचकूला);

(ख) श्री अजय परमार (श्री सुधीर परमार के भतीजे और एम 3 एम समूह में उप प्रबंधक (कानूनी));

iii) श्री रूप बंसल (एम 3 एम समूह के प्रवर्तक); और iv) अन्य अज्ञात व्यक्ति।'

4. विशेष रूप से, इस एफ. आई. आर. से पहले, वर्ष 2018 और 2020 के बीच, आई. आर. ई. ओ. समूह की दो आवासीय परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं द्वारा इसके प्रबंधन की ओर से अवैधता का आरोप लगाते हुए 13 एफ. आई. आर. दर्ज की गई थीं। इन प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट नं. आई. आर. ई. ओ. समूह और इसके उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित गोयल द्वारा कथित रूप से किए गए धन शोधन के संबंध में जी. एन. जेड. ओ./10/2021 दिनांक 15.06.2021 (इसके बाद, 'प्रथम ई. सी. आई. आर.'). न तो एफ. आई. आर. में और न ही प्रथम ई. सी. आई. आर. में एम. 3. एम. समूह या अपीलकर्ताओं को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। 14.01.2022 पर, ईडी ने अभियोजन शिकायत सं.

01/2022, शीर्षक 'सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय बनाम ललित

गोयल और अन्य, सात नामित अभियुक्तों के खिलाफ, 2002 के अधिनियम की धारा 44 और 45 के साथ पठित धारा 200 Cr.P.C के तहत। विशेष रूप से, एम 3 एम समूह और अपीलकर्ताओं ने नामित अभियुक्तों के बीच पहचान नहीं की। इस शिकायत के अनुसार एफ. आई. आर. की संख्या भी 13 से बढ़कर 30 हो गई थी। इस मामले को COMA/01/2022 के रूप में क्रमांकित किया गया था, जिसका शीर्षक था 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम ललित गोयल और अन्य', और विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में लंबित था। उस समय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला को सूचना मिली कि सुधीर परमार आई. आर. ई. ओ. समूह के मालिक ललित गोयल और एम. 3. एम. समूह के मालिक रूप बंसल और उनके भाई बसंत बंसल के प्रति पक्षपात दिखा रहे हैं। इससे पंजीकरण हुआ

[2023] 12 एस सी आर।

एफ. आई. आर. सं. 0006 दिनांक 17.04.2023। आईडी1 पर, ईडी ने एम 3 एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया, जिसमें उससे कुछ कंपनियों के साथ लेनदेन से संबंधित जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने का आह्वान किया गया। इसके बाद, आईडी1 पर, ईडी ने एम 3 एम समूह की संपत्तियों पर छापा मारा और संपत्ति और बैंक खातों को जब्त कर लिया। रूप बंसल को ईडी ने पहली ईसीआईआर के प्रस्ताव पर गिरफ्तार किया था।

5. यह आशंका जताते हुए कि प्रथम ईसीआईआर के संदर्भ में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पंकज बंसल और बसंत बंसल ने जमानत आवेदन संख्या 2030 और 2023 के 2031 में दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया। उसमें पारित किए गए अलग-अलग आदेशों द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोट किया कि पंकज बंसल और बसंत बंसल का नाम पहले ईसीआईआर में नहीं था और ईडी अभी तक उन्हें 2002 के अधिनियम के तहत किसी भी निर्धारित मामले में फंसाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि पंकज बंसल को उस मामले में ईडी द्वारा तलब भी नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने तदनुसार उन्हें सुनवाई की अगली तारीख, यानी 05.07.2023 तक, शर्तों के अधीन, अग्रिम जमानत के माध्यम से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2023 की संख्या 7384 और 7396 ई. डी. के नेतृत्व में इस न्यायालय के समक्ष 09.06.2023 दिनांकित आदेशों को लागू करते हुए दायर किए गए थे और इन्हें लंबित बताया गया है।

6. इस बीच, एफ. आई. आर. संख्या 0006 दिनांक 17.04.2023 के आधार पर, ई. डी. ने एक और ई. सी. आई. आर. दर्ज किया।, ईसीआईआर/जीएनजेडओ/17/2023, 13.06.2023 (इसके बाद, 'दूसरा ईसीआईआर') के खिलाफ:

(i) श्री सुधीर परमार;

(ख) श्री अजय परमार;

iii) श्री रूप बंसल; और

(iv) अन्य जिनका नाम एफ. आई. आर./अज्ञात व्यक्तियों में है।

हालाँकि, ईडी द्वारा पंकज बंसल और बसंत बंसल को प्रथम ईसीआईआर के संबंध में 13.06.2023 पर 06.15 शाम को समन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 14.06.2023 पर 11.00 सुबह ईडी के सामने पेश होने की आवश्यकता थी। हालाँकि इस अदालत के समक्ष रखे गए समन की प्रति अकेले पंकज बंसल से संबंधित है, ईडी के सहायक निदेशक का दिनांकित ईमेल, जिसमें समय 06.15 है, पंकज बंसल और बसंत बंसल दोनों को संबोधित किया गया था और सुबह 11 बजे 14.06.2023 पर समन के साथ उनके अनुपालन की आवश्यकता थी। जबकि 721

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 722

पंकज बंसल और बसंत बंसल राजोकरी, नई दिल्ली में ईडी के कार्यालय में थे, इन समन के अनुपालन में, पंकज बंसल को 14.06.2023 पर 04.52 शाम को नए समन जारी किए गए, जिसमें उन्हें उसी दिन 05.00 शाम को एक अन्य जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता थी। यह समन दूसरे ईसीआईआर के संबंध में था। बसंत बंसल को दूसरे ईसीआईआर के संबंध में कब समन भेजा गया था, इस बारे में स्पष्टता की कमी है। ईडी के अनुसार, उन्हें 13.06.2023 पर ही समन भेजा गया था और उन्होंने उसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। हालाँकि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बसंत बंसल नई दिल्ली के राजोकरी में ईडी के कार्यालय में सुबह 14.06.2023 पर 11.00 पर भी मौजूद थे। यह भी विवाद में नहीं है कि, जब वह वहाँ थे, बसंत बंसल को 14.06.2023 पर 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया था और पंकज बंसल को उसी दिन 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी ईसीआईआर के संबंध में की गई ये गिरफ्तारियाँ 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रही थीं। इसके बाद गिरफ्तार व्यक्तियों को पंचकूला, हरियाणा ले जाया गया और अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष पेश किया गया। वहाँ उन्हें ईडी के नेतृत्व में रिमांड आवेदन दिया गया। विद्वत अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला ने शुरू में दिनांक 2 का आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी को हिरासत में दे दिया

गया है, जिसमें उन्हें 1 पर अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। बाद के आदेशों 20.06.2023 और 26.06.2023 द्वारा, ईडी की हिरासत में उनकी रिमांड को 5 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया और उसके बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

7. पंकज बंसल और बसंत बंसल ने डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2023 की सं. 1770 और 1771। हालांकि, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राय दी कि उनके लिए उचित उपाय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संपर्क करना और रिमांड के उक्त आदेश को चुनौती देना होगा। ऐसा मानते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके विविध आवेदनों को खारिज कर दिया, लेकिन रिट याचिकाओं में नोटिस का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से नाराज पंकज बंसल और बसंत बंसल ने एसएलपी (सी. आर. एल.) का नेतृत्व किया। इस न्यायालय के समक्ष 2023 की सं. 7443 और 7444। एस. एल. पी. को 04.07.2023 पर वापस लिए जाने के रूप में निपटाया गया था, जिसमें रिमांड आदेशों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता सुरक्षित थी। इस न्यायालय ने आगे कहा कि डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2023 की संख्या 1770 और 1771 को निष्फल बना दिया गया। इसके बाद पंकज बंसल और बसंत बंसल ने विषय का नेतृत्व किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं जिन्हें खंड पीठ के विवादित आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

8. हालांकि बसंत बंसल को उनके भाई रूप बंसल के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के एफ. आई. आर. संख्या 0006 दिनांकित आई. डी. 1 में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनका नाम एफ. आई. आर. के मुख्य भाग में एम. 3. एम. समूह के मालिकों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है, जिनके प्रति विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार ने पक्षपात दिखाया था। हालांकि, पंकज बंसल का नाम प्राथमिकी की सामग्री में भी नहीं है। यह उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिकाओं में पिता और पुत्र का विशिष्ट मामला था कि 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी सत्ता/अधिकार का अनावश्यक दुरुपयोग और ईडी द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग था, इसके अलावा यह पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक था। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी ने 2002 के अधिनियम की धारा 19 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया। इस परिवेश में उन्होंने निम्नलिखित प्रार्थनाएँ कीं:

‘ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया उचित रिट (ओं), आदेश (ओं) और/या निर्देश (ओं) जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है:- ए. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप पीएमएलए की धारा 19 (1) के दायरे, विस्तार और दायरे को विस्तार से पढ़ें और/या पढ़ें।

बनाम भारत संघ और अन्य। 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929 "और

इसे पकड़ो:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

आई. उसमें होने वाली अभिव्यक्ति "कब्जे में सामग्री"

उत्कृष्ट गुणवत्ता और निर्दोष चरित्र के कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य तक सीमित, सीमित और सीमित होना चाहिए, जिसके आधार पर "विश्वास करने के कारण" लिखित रूप में दर्ज किए जा सकते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति पीएमएलए की धारा 4 के तहत अपराध का "दोषी" है;

ii. उसमें आने वाला "अपराध" शब्द केवल संदेह और एल. डी. की तुलना में एक उच्च मानदंड के योग्य होगा। रिमांड के चरण में अदालत को अपने न्यायिक दिमाग को आधारों के साथ-साथ गिरफ्तारी की आवश्यकता पर भी लागू करना आवश्यक है, जैसा कि 723 में आयोजित किया गया था।

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

"अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एस. सी. सी. 273 "और जैसा कि" सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 825 "में अभेद्यता दी गई है;

iii.पी. एम. एल. ए. नियम 2005 (गिरफ्तारी नियम) के नियम 2 (1) (जी) और 2 (1) (एच) के साथ पढ़े जाने वाले "इस तरह के विश्वास के कारण को लिखित रूप में दर्ज करने" के दायित्व के संदर्भ में, जिसमें ऐसी गिरफ्तारी के आधार को शामिल करने के लिए "आदेश" शब्द का अर्थ अभिनिर्धारित किया गया है, उसमें आने वाली अभिव्यक्ति "संवाद" निश्चित रूप से शारीरिक संचार और गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करेगी।'

9. इसलिए, यह स्पष्ट है कि पंकज बंसल और बसंत बंसल ने 2002 के अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता पर हमला नहीं किया, बल्कि इसके प्रावधानों को 'पढ़ने' और/या 'पढ़ने' की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि रिमांड आदेशों को विद्वान अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा 2002 के अधिनियम की धारा 19 के जनादेश के उचित अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट किए बिना, और विशेष रूप से, क्या प्रावधान की सीमा आवश्यकताओं को विधिवत संतुष्ट किया गया था, स्पष्ट रूप से नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था। नतीजतन, उन्होंने रिमांड आदेशों के साथ-साथ अंतर्निहित गिरफ्तारी आदेशों और गिरफ्तारी ज्ञापनों को रद्द करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की।

10. हालाँकि अपीलकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं में 2002 के अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी थी और केवल इसके प्रावधानों को 'पढ़ने' और/या 'पढ़ने' की मांग की थी।

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम संघ मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

भारत और अन्य 1, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस अंतर को नोट करने में विफल रही और इस गलत धारणा के तहत उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया कि वे प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहे थे। 2002 के अधिनियम की धारा 19 में उपयोग की गई भाषा के अर्थ और बारीकियाँ, विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा जिस हद तक अज्ञात छोड़ दी गई थीं, अभी भी व्याख्या और समाधान के लिए खुली थीं और इसलिए, उच्च न्यायालय उस अभ्यास को करने के अपने अधिकार के भीतर होता। जो भी हो सकता है।

1 2022 (10) स्केल 577

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

11. साकेत सिंह, आई. आर. एस., उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय सीई, राजोकरी, नई दिल्ली ने इस अदालत के समक्ष ईडी के नेतृत्व में जवाबों के लिए गवाही दी। इसमें, उन्होंने स्वीकार किया कि दूसरा ई. सी. आई. आर. 13.06.2023 पर दर्ज किया गया था जो कि 17.04.2023 दिनांकित एफ. आई. आर. संख्या 0006 पर आधारित था। उन्होंने कहा कि उक्त प्राथमिकी में पंकज बंसल और एम 3 एम समूह के मालिकों का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हालाँकि, एफ. आई. आर. के अवलोकन से पता चलता है कि पंकज बंसल के नाम का उल्लेख नहीं है। 'एम 3 एम समूह के मालिकों' का संदर्भ रूप बंसल और उनके भाई बसंत बंसल के संदर्भ में था, न कि सामान्य अर्थों में, जैसा कि अब पंकज बंसल को भी शामिल करने के लिए बनाया जाना चाहिए। साकेत सिंह ने आगे कहा कि हालांकि एम 3 एम समूह, पंकज बंसल और बसंत बंसल का नाम पहले ईसीआईआर की संबंधित प्राथमिकियों में नहीं था, लेकिन जांच से पता चला था कि एम 3 एम समूह के प्रवर्तक भी धन शोधन में शामिल थे। उनके अनुसार, बसंत बंसल ने दूसरे ईसीआईआर के संबंध में आईडी1 पर जारी समन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी। कहा जाता है कि पंकज बंसल को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति और उसी दिन ईडी के जांच कार्यालय के समक्ष उनका बयान दर्ज करने के लिए आईडी1 पर मैनुअल समन जारी किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज बंसल ने समन स्वीकार कर लिया लेकिन ईडी को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में टालमटोल करते रहे। उन्होंने तत्काल आधार पर समन जारी करने को उचित ठहराया, यह दावा करते हुए कि यह एक आवश्यकता थी क्योंकि पंकज बंसल और बसंत बंसल सहित एम 3 एम समूह के प्रवर्तक/प्रमुख व्यक्ति जानबूझकर पहले ईसीआईआर में भी जांच से बच रहे थे और कई मौकों पर पहले जारी किए गए समन का पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज बंसल कई मौकों पर प्रथम ईसीआईआर के संबंध में समन का पालन करने में विफल रहे, यानी

04.06.2023, 06.06.2023 और 07.06.2023 के समन के साथ एक बार फिर, यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ये समन बसंत बंसल को जारी किए गए थे न कि पंकज बंसल को।

12. साकेत सिंह ने तब कहा कि जब पंकज बंसल आईडी1 पर ईडी के कार्यालय में आए, तो दूसरे ईसीआईआर के जांच अधिकारी ने उन्हें समन भेजा और चूंकि जांच अधिकारी के पास यह दिखाने के लिए सबूत थे कि पंकज बंसल धन शोधन के अपराध में दोषी थे, इसलिए उन्होंने 2002 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी 2002 के अधिनियम की धारा 19 और सूचना/725 के अनुसार की गई थी।

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 726

पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी श्रीमती आभा बंसल और सुश्री पायल कनोडिया को उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद टेलीफोन पर दी गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार पहले बसंत बंसल को पढ़े गए थे, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, गिरफ्तारी के लिखित आधारों को पढ़ा गया और उनकी भाषा में समझाया गया।, हिंदी, बसंत बंसल को गवाहों और गवाहों की उपस्थिति में शुद्धता के प्रतीक के रूप में उसी पर हस्ताक्षर किए। साकेत सिंह ने फिर जोर देकर कहा कि तत्काल आधार पर समन जारी करना एक आवश्यकता थी क्योंकि वे दोनों जानबूझकर दूसरे मामले में भी जांच से बच रहे थे और कई मौकों पर पहले जारी किए गए समन का पालन नहीं कर रहे थे। यह दोहराव गलत है क्योंकि पंकज बंसल को जारी किया गया पहला समन शाम को 13.06.2023 पर 06.15 पर था, जिसमें उन्हें पहले ईसीआईआर के संबंध में 14.06.2023 पर सुबह 11.00 पर उपस्थित होने की आवश्यकता थी, जिसका उन्होंने विधिवत पालन किया, और फिर, जब वे नई दिल्ली में ईडी के कार्यालय में थे, तो उन्हें दूसरे ईसीआईआर के संबंध में शाम को 04.52 पर समन भेजा गया था, जिसमें उन्हें 05.00 पर उपस्थित होने की आवश्यकता थी, जिसका उन्होंने फिर से पालन किया। साकेत सिंह के अनुसार, जांच के दौरान, दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया और जानबूझकर जानकारी को छिपाने का प्रयास किया गया, जो उनके अनन्य ज्ञान में था, जो उनकी भूमिकाओं को स्थापित करने और मनी लॉन्ड्रिंग जांच को उसके तार्किक अंत तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने जांच के दौरान असहयोग का रवैया अपनाया और यह तथ्य कि उन्होंने मौजूदा कार्यवाही में लाभ लेने के लिए ईडी न्यायाधीश को रिश्त दे दी थी, यह दर्शाता है कि वे मामले में शामिल गवाहों/अधिकारियों को भड़काने में सक्षम थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम थे और इसलिए, पंकज बंसल को आपत्तिजनक सबूतों के आधार पर लगभग 14.06.2023 पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के लिखित आधार को पंकज बंसल ने गवाहों की उपस्थिति में पढ़ा और उसके बाद पंकज बंसल और गवाहों ने उस पर हस्ताक्षर किए।

13. यद्यपि धनशोधन के कथित अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता के संदर्भ में मामले के गुण-दोष पर दोनों पक्षों द्वारा बहुत कुछ कहा और तर्क दिया गया था, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस बिंदु पर उस मुद्दे से चिंतित नहीं हैं। वर्तमान में विचार करने के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलार्थियों की गिरफ्तारी वैध और विधिसम्मत थी और क्या विद्वत अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित रिमांड के विवादित आदेश, माफते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

उस संदर्भ में, हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि ऐसी गिरफ्तारियां 2002 के अधिनियम की धारा 19 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, तो अपीलार्थियों की गिरफ्तारी को मान्य करने के लिए केवल रिमांड का आदेश पारित करना अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि ईडी द्वारा निर्णयों का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि एक बार सक्षम अदालत द्वारा रिमांड आदेश पारित करने के बाद गिरफ्तारी की वैधता को महत्व नहीं दिया जाएगा, उन मामलों में मुख्य रूप से न्यायिक अदालत द्वारा रिमांड के आदेश के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका मांगी गई थी और उस अनुपात की यहां कोई भूमिका नहीं है। ईडी की समझ और उस मामले के कानून पर उसकी गलत निर्भरता इस सवाल को जन्म देती है कि क्या 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) का उचित अनुपालन किया गया था और क्या विद्वत अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला ने रिमांड

आदेश पारित करते समय उस मुद्दे पर सही विचार किया था। इसलिए, चूंकि रिमांड आदेशों की वैधता को उस आधार पर चुनौती दी जा रही है, इसलिए यह मुद्दा भी विचार के लिए खुला हो सकता है कि क्या अपीलार्थियों की गिरफ्तारी इसकी शुरुआत में वैध थी। 14. इस स्तर पर, इन अपीलों और विचाराधीन मुद्दों के लिए प्रासंगिक मामले कानून पर विचार करना उचित होगा। विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 65 भविष्यवाणी करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, विश्वासघात, जांच, अभियोजन और उसके तहत अन्य सभी कार्यवाही के संबंध में 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह उल्लेख किया गया कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें धन शोधन में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। यह देखा गया कि इस तरह की शक्ति उच्च पदस्थ अधिकारियों में निहित थी और इसके अलावा, 2002 के अधिनियम की धारा 19 में अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए थे, जैसे कि धन शोधन में व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में विश्वास के कारणों को दर्ज करना और इसके अलावा, ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी करते समय, गिरफ्तारी के आधार को उस व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया कि अधिकृत अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित करनी होती है और यह सुरक्षा धन शोधन में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बारे में एक राय बनाने में अधिकृत अधिकारी की निष्पक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है, जैसा कि लिखित रूप में दर्ज किया गया है। पीठ ने 727 का भी उल्लेख किया।

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 728

यह कि इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अधिकृत अधिकारी का दायित्व है और ऐसा पेश करना धारा 167 की आवश्यकता का पालन करना है। यह बताया गया कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो धारा 167 के तहत पेश करने की आवश्यकता के विपरीत है और 2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत एक स्पष्ट वैधानिक आवश्यकता होने के कारण, इसका अनुपालन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2002 के अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय और गिरफ्तारी से पहले अधिकृत अधिकारी द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्व शर्तें, जैसा कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 में निहित है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की तुलना में समान रूप से सख्त और उच्च मानक की हैं और ऐसे सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकृत अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य न करें, उन्हें विशेष अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने से पहले ही धन शोधन के अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बारे में अपने फैसले के लिए जवाबदेह बनाकर। इसी आधार पर पीठ ने 2002 के अधिनियम की धारा 19 की वैधता को बरकरार रखा। पीठ ने आगे कहा कि एक बार जब व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के जनादेश का पर्याप्त अनुपालन होगा और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में ईसीआईआर की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को प्रदान की जाए, क्योंकि ऐसी शर्त अनिवार्य नहीं है और यह पर्याप्त है यदि ईडी गिरफ्तारी के समय संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है। यह बताया गया कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, तो यह अदालत के लिए खुला होगा कि वह धन शोधन के संबंध में निरंतर हिरासत की आवश्यकता के मुद्दे का जवाब देने के लिए ईडी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखे। वास्तव में, 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रदान किए गए ऐसे कड़े सुरक्षा उपायों ने इस न्यायालय को अपनी धारा 45 में निहित दोहरी शर्तों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया, जिससे जमानत प्राप्त करना मुश्किल हो गया।

15. इस न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का अवसर मिला

2002 में वी. सेंथिल बालाजी बनाम। राज्य का प्रतिनिधित्व उप निदेशक द्वारा किया जाता है

और अन्य 2, और विशेष रूप से, इसकी धारा 19। यह नोट किया गया कि अधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है जब वह कार्रवाई करता है।

2 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2284-2285, 07.08.2023 पर निर्णय लिया गया

यह मानने का एक कारण है कि वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, लेकिन उसे कारणों को दर्ज करने का अनिवार्य कर्तव्य भी निभाना चाहिए। यह इंगित किया गया था कि इस कवायद के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी जानी चाहिए। यह कहा गया था कि यह अधिकृत अधिकारी का बाध्य कर्तव्य है कि वह अपने इस विश्वास के कारणों को दर्ज करे कि कोई व्यक्ति दोषी है और उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता है और यह देखा गया कि यह सुरक्षा निष्पक्षता और जवाबदेही के एक तत्व को सुविधाजनक बनाने के लिए है। 2002 के अधिनियम की धारा 19 और धारा 167 के बीच परस्पर क्रिया पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट से एक संतुलनकारी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि जांच को नियम के रूप में 24 घंटे के भीतर पूरा किया जाना है और इसलिए, यह जांच एजेंसी पर है कि वह मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की हिरासत की आवश्यकता पर पर्याप्त सामग्री के साथ संतुष्ट करे। यह बताया गया कि न्यायिक आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा इस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने दोहराया कि 2002 के अधिनियम की धारा 19, धारा 167 द्वारा पूरक, एक गिरफ्तार व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि जब 2002 के अधिनियम के तहत किसी आरोपी व्यक्ति को किसी प्राधिकरण को रिमांड पर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट की एक अलग भूमिका होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट का यह सुनिश्चित करना एक बाध्य कर्तव्य है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 का विधिवत पालन किया जाए और कोई भी विफलता गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का हकदार बनाएगी। यह इंगित किया गया था कि धारा 167 2002 के अधिनियम की धारा 19 को प्रभावी बनाने के लिए है और इसलिए, यह मजिस्ट्रेट पर है कि वह 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अध्ययन करके इसके उचित अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करे और केवल इस तरह की संतुष्टि पर, मजिस्ट्रेट किसी प्राधिकरण के पक्ष में हिरासत के अनुरोध पर विचार कर सकता है। इसे अन्यथा रखने के लिए, इस न्यायालय के अनुसार, मजिस्ट्रेट उपयुक्त प्राधिकारी है जिसे 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बारे में संतुष्ट किया जाना है। अंत में, इस न्यायालय ने संक्षेप में कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का कोई भी गैर-अनुपालन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लाभ को सुनिश्चित करेगा और न्यायालय के पास 2002 के अधिनियम की धारा 62 के तहत कार्रवाई शुरू करने की शक्ति होगी। विशेष रूप से, इस मामले में, गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए थे।

16. 2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के संदर्भ में, 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के बाद धारा 167 का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

729

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 730

अदालत ने 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिमांड पर लेने की धारा 167 Cr.P.C के तहत कवायद को जब्त कर लिया है, यह सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि धारा 19 की शर्तें विधिवत संतुष्ट हैं और गिरफ्तारी वैध और वैध है। यदि न्यायालय इस कर्तव्य का उचित भाव से और उचित परिप्रेक्ष्य में निर्वहन करने में विफल रहता है, जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, तो रिमांड का आदेश उस आधार पर विफल होना होगा और यह किसी भी तरह से 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत की गई गैरकानूनी गिरफ्तारी को मान्य नहीं कर सकता है।

17. मधु लिमये और अन्य 3 के मामले में 3-न्यायाधीशों की पीठ थी।

इस न्यायालय का निर्णय जिसमें यह कहा गया था कि राज्य के लिए यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि रिमांड के चरण में, मजिस्ट्रेट ने सभी प्रासंगिक मामलों में अपना दिमाग लगाने के बाद जेल हिरासत में हिरासत का निर्देश दिया और यदि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के उल्लंघन के आधार पर पर्याप्त हो जाती है, तो रिमांड का आदेश ऐसी गिरफ्तारी से जुड़ी संवैधानिक असंवेदनशीलता को दूर नहीं करेगा।

18. इस संदर्भ में देखे जाने पर, अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 1 का रिमांड आदेश अपेक्षित मानक के अनुसार अपने कर्तव्य के निर्वहन में उनकी ओर से पूर्ण विफलता को दर्शाता है। विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य को भी दर्ज नहीं किया कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों का अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ईडी ने यह मानने के लिए कारण दर्ज किए थे कि अपीलार्थी 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के दोषी थे और 2002 के

अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का उचित अनुपालन किया गया था। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपराध की गंभीरता और जांच के चरण को ध्यान में रखते हुए, उन्हें विश्वास था कि वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। सजा- 'यह आगे (एस. आई. सी.) है कि कानून के सभी आवश्यक आदेशों का पालन किया गया है' निम्नलिखित- 'यह अभियोजन पक्ष का मामला है।' और इसकी निरंतरता प्रतीत होती है, जैसा कि 'आगे' शब्द से संकेत मिलता है, और यह विद्वान न्यायाधीश द्वारा उस प्रभाव के लिए अपनी संतुष्टि का अभिलेख नहीं है।

19. परिणामस्वरूप, हमारे लिए यह जांच करना आवश्यक होगा कि अपीलार्थियों को कैसे गिरफ्तार किया गया और यह सत्यापित करना आवश्यक होगा कि क्या यह 2002 के अधिनियम की धारा 19 में दिए गए सुरक्षा उपायों के अनुरूप था। इस संदर्भ में, अनुक्रम

3 (1969) 1 एससीसी 292

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

घटनाएँ पढ़ना दिलचस्प बनाती हैं। प्रथम ई. सी. आई. आर. ई. डी. द्वारा 15.06.2021 पर दर्ज किया गया था और रूप बंसल को इसके संबंध में 08.06.2023 पर गिरफ्तार किया गया था। उसमें किसी भी अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था। हालांकि, यह ईडी का मामला है कि पहले ईसीआईआर के संबंध में जांच अभी भी जारी है। किसी भी स्थिति में, रूप बंसल की गिरफ्तारी के बाद, दोनों अपीलार्थियों ने 09.06.2023 पर अग्रिम जमानत के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया, भले ही सुनवाई के अगले दिन तक, अर्थात्, 05.07.2023, दिल्ली उच्च न्यायालय से। हालांकि, दोनों अपीलार्थियों को प्रथम ईसीआईआर के संबंध में पूछताछ के लिए 14.06.2023 पर बुलाया गया था, जिसमें उन्हें अंतरिम संरक्षण प्राप्त था। इस संबंध में उन्हें 13.06.2023 पर 06.15 बजे समन भेजा गया था। विशेष रूप से, दूसरा ई. सी. आई. आर. केवल उसी दिन दर्ज किया गया था, यानी 13.06.2023 पर, एफ. आई. आर. संख्या 0006 के संबंध में जो 17.04.2023 पर दर्ज किया गया था। उसमें भी, किसी भी अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया था और केवल रूप बंसल को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था। प्रथम ई. सी. आई. आर. के संबंध में उन्हें प्राप्त समन के अनुपालन में, दोनों अपीलार्थी नई दिल्ली के राजोकरी में ई. डी. के कार्यालय में सुबह 11.00 पर 14.06.2023 पर उपस्थित हुए। जब वे वहाँ थे, पंकज बंसल को दोपहर 04.52 पर समन भेजा गया था, जिसमें उन्हें दूसरे ईसीआईआर के संबंध में 05.00 बजे एक अन्य जांच अधिकारी के सामने पेश होने की आवश्यकता थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इस बारे में अस्पष्टता है कि बंसल को इस तरह के समन कब दिए गए थे। ई. डी. का मामला है कि उसने दूसरे ई. सी. आई. आर. के संबंध में समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया और उसे 06.00 पर 14.06.2023 पर गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज बंसल ने समन प्राप्त किया और पेश हुए लेकिन चूंकि उन्होंने प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं किया, इसलिए जांच अधिकारी ने उन्हें 14.06.2023 पर 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया।

20. घटनाओं का यह कालक्रम बहुत कुछ बताता है और ईडी के काम करने की शैली पर नकारात्मक नहीं तो खराब प्रभाव डालता है। एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, जिस पर हमारे देश में धन शोधन के कमजोर आर्थिक जोखिम पर अंकुश लगाने की भारी जिम्मेदारी है, इस तरह की कवायद के दौरान ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, बोर्ड से परे और कार्रवाई में निष्पक्षता के मूल मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है। 2002 के कड़े अधिनियम के तहत दूरगामी शक्तियों से लैस ईडी से अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है और इसे अत्यधिक ईमानदारी और उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ काम करते हुए देखा जाना चाहिए। इस मामले में, तथ्यों से पता चलता है कि ईडी अपने कार्यों का निर्वहन करने और इन मापदंडों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहा।

731

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 732

21. इस संबंध में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि अपीलकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की ओर से सत्ता के रंगारंग प्रयोग या दुर्भावनापूर्ण देश या द्वेष का आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी ईडी

द्वारा शक्ति, अधिकार और प्रक्रिया का अनावश्यक दुरुपयोग था, जो उसी चीज के समान होगा। उस विषय पर, हम इन टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं

पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 4:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

‘फिर सवाल यह है कि सत्ता के न्यायशास्त्र में दुर्भावना क्या है? कानूनी द्वेष तब तक मूर्खतापूर्ण है जब तक कि न्यायिक स्पष्टता इसे व्यक्तिगत बुराई की लोकप्रिय अवधारणा से अलग नहीं रखती है। ईमानदारी से कहें तो बुरा विश्वास जो सत्ता के प्रयोग को अमान्य कर देता है-जिसे कभी-कभी सत्ता पर रंगीन अभ्यास या धोखाधड़ी कहा जाता है और अक्सर उद्देश्यों, भावनाओं और संतुष्टि को ओवरलैप करता है-एक वैध लक्ष्य प्राप्त करने के अनुकरण या ढोंग द्वारा शक्ति के स्वीकृत उद्देश्यों से परे लक्ष्यों की प्राप्ति है। यदि शक्ति का उपयोग किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो द्वेष द्वारा सक्रियण या उत्प्रेरण विधिसम्मत नहीं है। क्रिया खराब होती है जहाँ वास्तविक उद्देश्य उस लक्ष्य तक पहुँचना होता है जो उस लक्ष्य से अलग होता है जिसके लिए शक्ति सौंपी गई है, जो अच्छे या बुरे, लेकिन समर्पण के लिए अप्रासंगिक, बाहरी विचारों से प्रेरित होता है। जब शक्ति के संरक्षक को उसके प्रयोग में उन विचारों से प्रेरित किया जाता है जो उन विचारों से बाहर होते हैं जिनके प्रचार के लिए शक्ति निहित होती है, तो न्यायालय इसे एक रंगीन अभ्यास कहता है और वह भ्रम से अप्रभावित रहता है। एक व्यापक, धुंधले अर्थ में, बेंजामिन डिस्रेली कानून में भी निशान से बाहर नहीं थे जब उन्होंने कहा: “मैं दोहराता हूँ।..... कि सारी शक्ति एक विश्वास है-कि हम इसके प्रयोग के लिए जवाबदेह हैं-कि, लोगों से, और लोगों के लिए, सभी स्रोतों और सभी का अस्तित्व होना चाहिए। बिजली पर धोखाधड़ी आदेश को रद्द कर देती है यदि इसका उपयोग डिजाइन किए गए अंत के लिए प्रामाणिक रूप से नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में धोखाधड़ी नैतिक अधमता के बराबर नहीं है और उन सभी मामलों को शामिल करती है जिनमें आरोपित कार्रवाई किसी ऐसे उद्देश्य को समाप्त करने के लिए की जाती है जो सत्ता के उद्देश्य और इरादे से परे है, चाहे वह द्वेषपूर्ण हो या सौम्य भी। यदि उद्देश्य भ्रष्ट है तो परिणामी कार्य बुरा है। यदि विचार, शक्ति के दायरे के लिए विदेशी या कानून के लिए बाहरी, निर्णय दर्ज करते हैं या कार्रवाई को प्रेरित करते हैं, तो दुर्भावनापूर्ण या सत्ता पर धोखाधड़ी अधिग्रहण या अन्य आधिकारिक अधिनियम को दूषित करती है।’

4 (1980) 2 एस. सी. सी. 471

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

कुछ वर्षों के बाद, कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट), इलाहाबाद और एक अन्य बनाम राजा राम जयसवाल 5 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

‘जहाँ किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है, वहाँ यह बार-बार दोहराया गया है कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए शक्ति का उपयोग उचित रूप से और सद्भावना से किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में “सद्भावना में” का अर्थ है “वैध कारणों से”। जहाँ बाहरी या अप्रासंगिक विचारों या कारणों के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह निर्विवाद रूप से शक्ति का एक रंगीन प्रयोग या शक्ति पर धोखाधड़ी है और शक्ति का प्रयोग दूषित हो जाता है।’

पुनः, रवि यशवंत भोइर बनाम कलेक्टर 6 में, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

‘सत्ता के दुरुपयोग का मतलब कोई नैतिक पतन नहीं है। इसका अर्थ है “उन विदेशी उद्देश्यों के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है।” इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के प्रति कानून का सचेत उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक भ्रष्ट झुकाव, जहाँ इरादे अपने हानिकारक कार्यों से प्रकट होते हैं। अनाधिकृत उद्देश्य के लिए आदेश पारित करने से कानून में द्वेष पैदा होता है।’

22. जिस तरह से ईडी ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रथम ईसीआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरे ईसीआईआर को दर्ज किया, हालांकि मूलभूत प्राथमिकी 17.04.2023 की थी, और फिर उन्हें एक बहाने पर तलब किया और 24 घंटे या उससे कम समय के भीतर उन्हें दूसरे पर गिरफ्तार किया, यह पूरी तरह से और पूरी तरह से प्रामाणिकता की कमी को प्रकट करता है। विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम ईसीआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे थे, तो ईडी ने उच्च न्यायालय के ध्यान में यह भी नहीं लाया कि एक और प्राथमिकी थी जिसके संबंध में एक चल रही जांच थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को फंसाया गया था। दूसरा ई. सी. आई. आर. जमानत देने के 4 दिन बाद दर्ज

किया गया था और यह संभव नहीं है कि ईडी उस समय 17.04.2023 दिनांकित एफ. आई. आर. संख्या 0006 के अस्तित्व से अनजान होता।

23. आश्चर्य की बात यह है कि ईडी ने अपनी 'लिखित प्रस्तुतियों' में कहा कि उसने मई, 2023 में ही इस प्राथमिकी के संबंध में अपनी जांच शुरू की थी, लेकिन अजीब तरह से,

5 (1985) 3 एस. सी. सी. 1 6 (2012) 4 एस. सी. सी. 407 733

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

ईडी के नेतृत्व में दिए गए जवाबों में ऐसा नहीं कहा गया है! यह इस पृष्ठभूमि में है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह दमन ईडी की ओर से ईमानदारी की पूरी कमी को दर्शाता है। अपीलार्थियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने पर इसका त्वरित जवाबी कदम, दूसरा ईसीआईआर दर्ज करके और उस पर कार्रवाई करके, एक दिन के भीतर, ताकि अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया जा सके, अपने लिए बोलता है और हमें उस पहलू पर अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

24. इसके अलावा, जब दूसरी ईसीआईआर को 'प्रारंभिक जांच के बाद' आईडी1 पर दर्ज किया गया था, जैसा कि ईडी के जवाबों में कहा गया है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी के जांच अधिकारी के पास मामले की ठीक से जांच करने का समय कब था ताकि 2002 के अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में स्पष्ट राय बनाई जा सके, जिससे 24 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। यह 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में एक अनिवार्य शर्त है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकारियों को कानून के चार कोनों के भीतर कार्य करना चाहिए, जैसा कि बताया गया है।

इस न्यायालय द्वारा देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 7 में, और एक वैधानिक

प्राधिकरण कानून में निर्धारित प्रक्रिया से बंधा होता है और उसे इसके चारों कोनों के भीतर कार्य करना चाहिए।

25. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि ईडी द्वारा उनके सामने रखे गए प्रश्नों का उत्तर देने में अपीलकर्ताओं की विफलता अपने आप में जांच अधिकारी के लिए यह राय देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि उस प्रावधान में विशेष रूप से उन्हें यह विश्वास करने का कारण बताना आवश्यक है कि वे 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के दोषी थे। 2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में केवल एक गवाह का असहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके जवाबों के अनुसार, ईडी का दावा है कि पंकज बंसल प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में टालमटोल कर रहे थे। हालाँकि यह सामने नहीं लाया गया कि पंकज बंसल के जवाबों को 'टालमटोल' के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया और उस रिकॉर्ड को सत्यापन के लिए हमारे सामने नहीं रखा गया है। किसी भी स्थिति में, ईडी पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद करने के लिए तैयार नहीं है और यह दावा करता है कि इस तरह के स्वीकार से कम कुछ भी एक 'टालमटोल जवाब' होगा। संतोष पुत्र द्वारकादास फाफत बनाम महाराष्ट्र राज्य 8 में, इस न्यायालय ने कहा कि अभिरक्षा में पूछताछ 'स्वीकारोक्ति' के उद्देश्य से नहीं है क्योंकि यह आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार है।

7 (2008) 1 एससीसी 728 8 (2017) 9 एससीसी 714

734

[संजय कुमार, जे।] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) द्वारा प्रदान किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि एक अभियुक्त ने अपराध स्वीकार नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह जाँच में सहयोग नहीं कर रहा था। इसी तरह, तलाशी अभियान के दौरान किसी एक या दोनों अपीलार्थियों की अनुपस्थिति, जब उनकी उपस्थिति पर जोर नहीं दिया गया था, उनके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है।

26. वर्तमान में अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ईडी को गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में 'सूचित' करने की आवश्यकता कैसे है। अपीलार्थियों के नेतृत्व में रिट याचिकाओं में प्रार्थना (iii) इससे संबंधित है। धारा 19 स्पष्ट रूप से

निर्दिष्ट नहीं करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में कैसे 'सूचित' किया जाना है और इस पहलू को नहीं बताया गया है।

विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) में वर्णित या चित्रित। इसी तरह,

वी. सेंथिल बालाजी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति को 'दी जानी चाहिए', लेकिन उस मुद्दे पर विस्तार से नहीं बताया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए थे। आश्चर्य की बात है कि ईडी द्वारा इस संबंध में कोई सुसंगत और समान प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार की लिखित प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में, उस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है और गिरफ्तारी के आधार या तो उन्हें पढ़े जाते हैं या उन्हें पढ़ने की अनुमति दी जाती है।

27. इस संदर्भ में, ईडी द्वारा मोइन अख्तर कुरैशी बनाम भारत संघ और अन्य 9 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा रखा गया है, जिसमें यह देखा गया था कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 'ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है और 'ऐसी गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करती है' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है और इसलिए, धारा 19 (1) के तहत अधिकृत अधिकारी पर डाला गया दायित्व केवल गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करना है और प्रावधान अधिकारी को गिरफ्तारी पर ऐसी गिरफ्तारी के आधारों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। रिलायंस को ईडी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भी रखा गया है

छगन चंद्रकांत भुजबल बनाम भारत संघ और अन्य 10,

जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी के आधार को व्यक्ति को सूचित किया जाना है

9 डब्ल्यूपी (सी. आर. एल.) 2017 का सं. 2465, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12108 10 2017 सी. आर. आई. एल. जे. (एन. ओ. सी. 301) 89 = 2017 (1) ए. आई. आर. बम आर. (सी. आर. आई.) 929 735

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

गिरफ्तार किया गया और इसका मतलब यह होगा कि उन्हें जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है।

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया था

कि किसी दिए गए मामले में ई. सी. आई. आर. की गैर-आपूर्ति को दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि ई. सी. आई. आर. में ई. डी. के कब्जे में सामग्री का विवरण हो सकता है और उसी का खुलासा करने से जांच या जांच के अंतिम परिणाम पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि जब तक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में 'सूचित' किया जाता है, यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन होगा।

29. इस संबंध में, हम ध्यान दे सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यह गिरफ्तार व्यक्ति को गारंटीकृत मौलिक अधिकार होने के कारण, गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने का तरीका आवश्यक रूप से सार्थक होना चाहिए ताकि इच्छित उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 45 उसकी धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहाई की मांग करने में सक्षम बनाती है, लेकिन यह अभिनिर्धारित करती है कि जब तक इसके तहत निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा व्यक्ति जमानत देने का हकदार नहीं होगा। प्रावधान में निर्धारित दोहरी शर्तें यह हैं कि, सबसे पहले, लोक अभियोजक को रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर देने के बाद, न्यायालय को संतुष्ट किया जाना चाहिए, कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और दूसरा, कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उन आधारों से अवगत हो जिनके आधार पर अधिकृत अधिकारी ने उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया और

अधिकारी के 'विश्वास करने के कारण' के आधार पर कि वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। यह केवल तभी है जब गिरफ्तार व्यक्ति को इन तथ्यों की जानकारी हो कि वह विशेष न्यायालय के समक्ष अभिवचन करने और साबित करने की स्थिति में होगा कि यह मानने के लिए आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है, ताकि जमानत की राहत का लाभ उठाया जा सके। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और 2002 के अधिनियम की धारा 19 द्वारा अनिवार्य गिरफ्तारी के आधारों का संचार इस उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

736

[संजय कुमार, जे।] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

30. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 की भाषा यह संदेह से परे रखती है कि अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास बनाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा कि गिरफ्तार करने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। धारा 19 (2) अधिकृत अधिकारी से अपेक्षा करती है कि वह धारा 19 (1) में निर्दिष्ट अपने कब्जे में सामग्री के साथ गिरफ्तारी आदेश की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजे। हालाँकि गिरफ्तार व्यक्ति के लिए धारा 19 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजी गई सभी सामग्री की आपूर्ति करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में 'सूचित' होने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, जो 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए अधिकृत अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को यह सूचित करने का तरीका देश के विभिन्न हिस्सों में ईडी के अधिकृत अधिकारियों के विकल्प पर छोड़ दिया गया है, अर्थात् या तो गिरफ्तारी के ऐसे आधारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसे आधारों को पढ़ने की अनुमति देना या ऐसे व्यक्ति को पढ़कर समझाया जाना चाहिए।

31. इसके अलावा, धन शोधन की रोकथाम के नियम 6 (किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति को सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और उसके प्रतिधारण की अवधि के लिए अग्रेषित करने का प्रपत्र और तरीका) नियम, 2005, जिसका शीर्षक 'अभिलेख के प्रपत्र' है, इस आशय का प्रावधान करता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उन नियमों से जुड़े प्रपत्र III में गिरफ्तारी आदेश पर हस्ताक्षर करेगा। फॉर्म III, गिरफ्तारी आदेश का निर्धारित प्रारूप होने के कारण, निम्नानुसार है:- 'एआरआरईएसटी ऑर्डर

जबकि, आई।केन्द्र सरकार द्वारा इस ओर से अधिकृत निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/कार्यालय के पास यह मानने का कारण है

कि.....

अब, इसलिए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा उक्त व्यक्ति को. घंटे में गिरफ्तार करता हूँ और उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया गया है।

737

पंकज बंसल बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[संजय कुमार, जे.] 738

दो हजार के इस दिन की तारीख। आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी

मुहर के साथ हस्ताक्षर

सेवा में

.....

.....

[गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पूरा पता] '

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रारूप का पालन पूरे देश में अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में, अधिकृत अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित करेंगे, जबकि देश के अन्य हिस्सों में, उसी निर्धारित प्रारूप के आधार पर, अधिकृत अधिकारी केवल गिरफ्तारी के आधार की सामग्री को पढ़ेंगे या पढ़ने की अनुमति देंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराने की इस दोहरी और असमान प्रक्रिया को उसी गिरफ्तारी आदेश के बल पर, वन निर्धारित प्रारूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

32. ऐसा होने पर, इस बात का कोई वैध कारण नहीं है कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को निश्चित रूप से और बिना किसी अपवाद के क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसके दो प्राथमिक कारण हैं कि सिद्धांत के रूप में इसका पालन करना उचित कदम होगा। सबसे पहले, यदि गिरफ्तारी के ऐसे आधारों को मौखिक रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को पढ़ा जाता है या ऐसे व्यक्ति द्वारा आगे कुछ नहीं पढ़ा जाता है और यह तथ्य किसी दिए गए मामले में विवादित है, तो यह अधिकृत अधिकारी के शब्द के खिलाफ गिरफ्तार व्यक्ति के शब्द पर उबल सकता है कि क्या इस संबंध में उचित और उचित अनुपालन है या नहीं। जहाँ तक बसंत बंसल का संबंध है, इस मामले में यही स्थिति है। हालांकि ईडी का दावा है कि गवाह मौजूद थे और उन्हें प्रमाणित किया गया कि गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा गया और उन्हें हिंदी में समझाया गया, लेकिन यह न तो यहां है और न ही वहां है क्योंकि उन्होंने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस संबंध में गैर-अनुपालन में गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जैसा कि वी. सेंथिल बालाजी (उपरोक्त) में माना गया है। ऐसी अनिश्चित स्थिति से आसानी से बचा जा सकता है और गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रस्तुत करके इसके परिणाम को बहुत सरलता से दूर किया जा सकता है, जैसे -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, गिरफ्तार व्यक्ति को उचित पावती के तहत, इसे अधिकृत अधिकारी के विवादास्पद बयान पर छोड़ने के बजाय।

33. दूसरा कारण यह है कि इसे अपनाना उचित तरीका क्यों होगा, यह गिरफ्तार व्यक्ति को दी जा रही ऐसी जानकारी का अंतर्निहित संवैधानिक उद्देश्य है। इस जानकारी का संप्रेषण न केवल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस बात से अवगत कराने के लिए है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाने के लिए भी है और इसके बाद, धारा 45 के तहत अदालत के समक्ष मामला पेश करने के लिए जमानत पर रिहाई की मांग करने के लिए, यदि वह चाहे। इस संबंध में, वी. सेंथिल बालाजी (उपरोक्त) में गिरफ्तारी के आधारों को रिकॉर्ड में रखा गया है और हम मानते हैं कि यह छह पृष्ठों में है। पंकज बंसल और बसंत बंसल के संबंध में दर्ज मामले में गिरफ्तारी के आधार इस अदालत के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन यह तर्क दिया गया है कि उन्हें रिमांड के समय पेश किया गया था। हालांकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इससे इच्छित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, यदि उनकी गिरफ्तारी के आधार समान रूप से विशाल थे, तो पंकज बंसल या बसंत बंसल के लिए यह रिकॉर्ड करना और उन सभी को याद रखना लगभग असंभव होगा जो उन्होंने भविष्य में वापस बुलाए जाने के लिए पढ़े या सुने थे ताकि कानूनी उपायों का लाभ उठाया जा सके। इससे भी अधिक, एक व्यक्ति के रूप में जिसे अभी-अभी गिरफ्तार किया गया है, वह एक शांत और एकत्रित मानसिक स्थिति में नहीं होगा और गिरफ्तारी के आधारों की सामग्री को याद रखने या उसे पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकता है। इस संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण के उद्देश्य को संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तारी के आधारों को केवल पढ़ने या पढ़ने की अनुमति देने की अनुमति देकर निरर्थक बना दिया जाएगा, चाहे उनकी लंबाई और विवरण कुछ भी हो, और अनुच्छेद 22 (1) के तहत संवैधानिक आवश्यकता और 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत वैधानिक जनादेश के उचित अनुपालन का दावा करें।

34. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होंगे और सामान्य रूप से, संवेदनशील सामग्री का कोई खतरा नहीं होना चाहिए जिससे जांच की पवित्रता और अखंडता से समझौता किया जा सके। यदि अधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलिखित गिरफ्तारी के ऐसे आधारों में ऐसी किसी भी संवेदनशील सामग्री का उल्लेख किया जाता है, तो उसके लिए दस्तावेज़ में ऐसे संवेदनशील हिस्सों को संशोधित करने और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की संपादित प्रति प्रस्तुत करने के लिए हमेशा खुला रहेगा, ताकि जांच की पवित्रता की रक्षा की जा सके।

[संजय कुमार, जे।]

35. उपरोक्त विश्लेषण पर, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करने के 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के संवैधानिक और वैधानिक अधिदेश को सही अर्थ और उद्देश्य देने के लिए, हम मानते हैं कि अब से, यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति निश्चित रूप से और बिना किसी अपवाद के गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत की जाए। मोइन अख्तर कुरैशी (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय और गगन चंद्रकांत भुजबल (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले, जो इसके विपरीत मानते हैं, सही कानून का निर्धारण नहीं करते हैं। हाथ में मामले में, स्वीकार की गई स्थिति यह है कि ईडी के जांच अधिकारी ने केवल अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के आधारों को पढ़ा या पढ़ने की अनुमति दी और इसे उस पर छोड़ दिया, जो अपीलार्थियों द्वारा भी विवादित है। चूंकि संचार का यह रूप संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के अधिदेश के अनुपालन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है, इसलिए हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही में ईडी का गुप्त आचरण, प्रथम ईसीआईआर के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरे ईसीआईआर को दर्ज करके, स्वीकृति की सराहना नहीं करता है क्योंकि यह मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करता है। प्रभावी रूप से, अपीलार्थियों की गिरफ्तारी और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

36. तदनुसार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेशों के साथ-साथ विवादित गिरफ्तारी आदेशों और गिरफ्तारी ज्ञापनों के साथ-साथ अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित रिमांड के आदेशों और उसके परिणामस्वरूप सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए अपीलों की अनुमति दी जाती है।

अपीलार्थियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उनकी कैद वैध रूप से आवश्यक न हो।

इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान